न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – ओ0पी0 सहारण आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या –129 / 2012

रतनदेई उम्र करीब 51 साल पत्नी हेमसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम मांगरौल तहसील व जिला धौलपुर।
– – – – वादीया

बनाम

1. मायादेवी । पुत्रियान नेमी जातिगण लोधा निवासीगण ग्राम बाल
2. ओमवती उर्फ मम्मोदेवी । गोविन्द का पुरा मजरा मांगरोल तहसील धौलपुर
3. सोनियां । ।
4. नीतू । पुत्रियां उर्मिला । जातिगण लोधा निवासीगण
5. कृष्णां । व रामबाबू । जहानपुर तहसील व जिला
6. शैलेन्द्र पुत्र उर्मिला व रामबाबू । धौलपुर
7. रामबाबू पुत्र सुल्तान ।
8. पंजाब नेशनल बैंक शाखा मनियां जरिये शाखा प्रवंधक
9. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्टर

– – – – प्रतिवादीगण

दावा बावत स्वत्व घोषणां दुरूस्ती
इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री योगेश शर्मा वादीया की ओर से

निर्णय

दिनांक – 16.03.18

वादीया की ओर से वादपत्र इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1153 रकवा 1 वीघा 4 विश्वा, 1336 रकवा 8 विश्वा, 1363 रकवा 17 विश्वा, 1364 रकवा 7 विश्वा, 1315 रकवा 1 वीघा 4 विश्वा, 1347 रकवा 19 विश्वा वाके ग्राम बालगोविन्द का पुरा तहसील व जिला धौलपुर में 1/2 भाग के अभिलिखित खातेदार काश्तकार सीताराम पुत्र राजाराम जाति लोधा निवासी ग्राम बालगोविन्द का पुरा मजरा मांगरोल थे। आराजी विवादग्रस्त में 1/2 भाग के अभिलिखित खातेदार नेमी पुत्र राजाराम जाति लोधा निवासी ग्राम बालगोविन्द का पुरा थे। यह आराजी सीताराम व नेमी को जरिये

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

निर्णय तारीखी 18.11.2002 न्यायालय श्रीमान एसडीओ धौलपुर प्रकरण उनवानी नेमी बनाम रतीराम विभाजन में प्राप्त हुई थी। विवादित आराजी में से सीताराम पुत्र राजाराम ने अपना 1/2 भाग के हकूक खातेदारी वादिया को जरिये वयनामा पंजीयन तारीखी 29.6.12 बिल ऐवज मुवलिग चार लाख रूपये में विकय कर दी तथा इस प्रकार वादिया जरिये वयनामा आराजी विवादग्रस्त की 1/2 भाग की खातेदार काश्तकारी स्वामी एवं आधिपत्यधारी कृषक है तथा 1/2 भाग पर काविज होकर फसल प्राप्त कर रही है। नेमी के निधनोपरान्त उसका 1/2 हिस्सा विरासतन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या3 लगायत 7 की मां व पत्नी उर्मिला जिसका कि निधन हो चुका है पर प्रकान्त हुआ था। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मन में अब बदनीयती आ चुकी है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने तथा स्व0 उर्मिला ने बावजूद जानकारी उक्त वयनरामा हल्का पटवारी से साज कर आराजी विवादग्रस्त पर सीताराम के निधनोपरान्त वादिया की बैक पर अवैद्य रूप से नामान्तकरण विरासतन खुलवा लिया है तथा वादिया के कय शुदा हिस्से पर एक राय होकर वादिया को बेदखल कर कब्जा करना चाहते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 ने अर्सा करीब 1 माह पूर्व वादिया से ऐलानियां इजहार किया है कि वे आराजी विवादग्रस्त पर वादिया को काश्त नहीं करने देंगे, बेदखल कर देंगे। वादिया ने उन्हें रोकने की कोशिष की तो वे आराजी विवादग्रस्त को किसी लट्ठ एवं चलाव वाले दीगर व्यक्ति को विकय कर देंगे। वादिया को प्रतिवादीगण के उपरोक्त कृत्य की जानकारी प्रतिवादीगण की धमकी से व्यथित होकर अपने अधिवक्ता द्वारा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन राये जाने पर हुई। उपरोक्त परिस्थितियों में वादिया को आवश्यक हो गया है कि वह आराजीर विवादग्रस्त पर वयनामा तारीखी 29.6.12 के जरिये अपाने 1/2 भाग के स्वत्व उद्घोषित करावे। वादिया के लिये यह भी आवश्यक हो गया है कि वह प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित करावे कि वे वादिया को उसके 1/2 हिस्से से बेदखल न करें, काश्त करने से न रोकें, किसी दीगर व्यक्ति के पक्ष में अवैद्य इन्द्राज का लाभ उठाकर रहन वय मुन्तकिल ना करें। वादिया को यह भी आवश्यक हो गया है कि आराजी विवादग्रस्त में निहित अपने 1/2 भाग को बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन करा कर खाता पृथक करावें। वादिया के द्वारा दावा डिकी किया जाकर विवादित आराजी के

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

1/2 भाग पर खातेदार घोषित करा कर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने का निवेदन किया।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि सीताराम पुत्र राजाराम ने अपने हिस्से 1/2 का विक्रय वादिया के हक में कभी भी नहीं किया था। वादिया जो वयनामा होना बता रही है वह फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज है। इससे वादिया को किसी भी प्रकार का हक हकूक विवादित आराजी में प्राप्त नहीं होता है। वादिया का विवादित आराजी पर कब्जा भी नहीं है। आराजी प्रतिवादीगण के एकान्तिक कब्जा व आधपत्य खातेदारी की भूमि है। प्रतिवादीगण ने सीताराम के हिस्से की आराजी 1/2 भाग पर सही तौर पर विरासतन अपना नामान्तकरण कराया है क्योंकि सीताराम के कोई सन्तान नहीं है। उसका समस्त तर्का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं स्व0 उर्मिला ने विरासत में प्राप्त किया है। प्रतिवादीगण के द्वारा दावा मय हर्जा खर्चा के खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण व उनके अभिभाषक के उपस्थित नहीं आने के कारण दिनांक 21.4.16 को उनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

उभयपक्ष के लिखित अभिकथनों एवं वादिया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर प्रकरण दिनांक 30.9.16 को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार धौलपुर से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार धौलपुर के द्वारा दिनांक 20.12.16 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये गये। विभाजन प्रस्तावों पर अभिभाषक वादिया को सुना गया। उनके द्वारा विभाजन प्रस्तावों को सही होना बताते हुए अपनी सहमति जाहिर कर मुताविक विभाजन प्रस्ताव दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड नकल जमावन्दी के अनुसार खातेदारान के विवादित आराजी में दर्ज हिस्सा अनुसार तथा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.9.16 को पारित प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार तहसीलदार धौलपुर के द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये गये हैं। अभिभाषक वादिया ने विभाजन प्रस्तावों को सही होना बताते हुए दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। प्रतिवादीगण अपना पक्ष

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

रखने के लिए उपस्थित नहीं आये हैं। अतः हम दावा वादिया मुताविक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादिया मुताविक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1153/1 रकवा 12 विश्वा दिशा पश्चिम, 1315/2 रकवा 12 विश्वा दिशा पश्चिम, 1336/2 रकवा 4 विश्वा दिशा पश्चिम, 1347/2 रकवा 9 विश्वा दिशा पश्चिम, 1363/2 रकवा 8 विश्वा दिशा पूर्व एवं 1364/2 रकवा 4 विश्वा दिशा पूर्व का वादिया रतनदेई पत्नी हेमसिंह जाति लोधा सा0 मांगरौल को एवं आराजी खसरा नम्बर 1153/2 रकवा 12 विश्वा दिशा पूर्व, 1315/1 रकवा 12 विश्वा दिशा पूर्व, 1336/1 रकवा 4 विश्वा दिशा पूर्व, 1347/1 रकवा 10 विश्वा दिशा पूर्व, 1363/1 रकवा 9 विश्वा दिशा पश्चिम, 1364/1 रकवा 3 विश्वा दिशा पश्चिम का मायादेवी, मम्मो देवी उर्फ ओमवती पुत्रीयान नेमी हि0व0 2/3 सा0देह व शैलेन्द्र पुत्र रामबाबू, सोनियां, नीतू, कृष्णां पुत्रियां रामबाबू हि0ब0 1/3 सा0 जहानपुर जाति लोधा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पक्षकारान के रहन के इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में खाता अलग कायम कर लगान पृथक–पृथक कायम किये जाने तथा राजस्व नक्शे में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। लगान के 20 गुणा पर देय मुद्रांक शुल्क पेश करने पर पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0 पी0 सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

Scanned by CamScanner